ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 126-129
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-I, Issues-X YEAR- June -2018

भारत में 1968 से पूर्व एशियाई विकास बैंक की स्थापना व ऋण नीति

अनलेश कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, नेशनल पी.जी. कालेज, भोगाँव–मैनपुरी, (उ0प्र0) भारत

एशिया और सुदूर–पूर्व के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक की स्थापना 26 नवम्बर, 1966 में की गई। इससे पूर्व एशिया ही केवल एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ था, जहाँ इस प्रकार की आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाली संस्था नहीं थी। एक ऐसे बैंक की स्थापना के विषय में सर्वप्रथम 1963 में मनीला नामक स्थान पर विचार किया गया परन्तु कोई ठोस परिणाम न निकल सका। एशियाई विकास बैंक की स्थापना के लिए वास्तविक कदम 'Economic Co-operation of Asia and Far East' (ECAFE) की वैलिंगटन बैठक में उपस्थित सभी पक्षों को एशियाई विकास बैंक की स्थापना के लिए इन्टर अमेरिकन डेवलमेंट बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक का नमूना उत्साहप्रद लगा। अमेरिका ने भी इसी पक्ष में राय दी, हालांकि वह इससे पहले इसके विरूद्ध था।

अमेरिका के इस विचार परिवर्तन का कारण यह था कि अमेरिकी कांग्रेस प्रत्यक्ष सहायता देने के बजाय वह विश्व संस्थाओं के द्वारा वित्तीय सहायता देना चाहती थी। परिणामस्वरूप, एशियाई विकास बैंक का उदय हुआ। बैंक का उद्घाटन करते समय जापान के प्रधान मन्त्री ने कहा कि "बैंक एशियाई राष्ट्रों के दीर्घकालीन महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह एशियाई राष्ट्रों की स्व–सहायता भावना और समेक्यता का प्रतीक है।"

बैंक के कार्य–

1– पूँजी विनियोजन– एशियाई विकास बैंक का मुख्य कार्य एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक (इकाफे) के क्षेत्र में विकास करने के हेतु सरकारी एवं निजी पूँजी उपलब्ध कराना है।

2– साधनों का सदुपयोग– काफी क्षेत्र में उपलब्ध साधनों का इस प्रकार प्रयोग कराना जिससे उस देश में आर्थिक विकास सुव्यवस्थित ढंग से हो सके तथा अल्पविकसित एवं छोटे देशों को विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

3– विकास नीतियों में समन्वय– सदस्य देशों के पारस्परिक व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा उनकी योजनाओं और विकास नीतियों में समन्वय उत्पन्न करना।

4– प्राविधिक सहायता– इसके सदस्य देशों में विकास के हेतु योजना निर्माण करने, साधनों का उचित प्रबन्ध करने तथा विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये प्राविधिक सहायता का प्रबन्ध करना है।

5– अन्य संगठनों के साथ सहयोग– एशियाई विकास बैंक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में स्थापित संस्थानों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ विकास कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना है।

बैंक की सदस्यता– बैंक की सदस्यता का आधार अफ्रीकी विकास बैंक तथा इन्टर अमेरिकन विकास बैंक की सदस्यता के आधार हैं। यद्यपि अफ्रीकी विकास बैंक एवं इन्टर अमेरिकन विकास बैंक की सदस्यता केवल अफ्रीका और अमेरिका के देशों को ही प्राप्त हो सकती है परन्तु ADB की सदस्यता इकाफे (ECAFE) सदस्य देशों की और गैर–एशियाई विकसित देशों को प्राप्त हो सकती है। इस समय (28 मई 1974) बैंक के 41 सदस्य हैं पिछले वर्ष की तुलना में केवल Gilbvert rFkk Ellice Islands को सदस्यता प्राप्त होने के कारण एक सदस्य की संख्या बढ़ी है।

पूँजी स्त्रोत– 31 दिसम्बर 1974 को बैंक की अधिकृत पूँजी 3, 365, 716, 500 डॉलर तथा प्रार्थित पूँजी (Subscribed Capital) 2, 770, 274, 203 डॉलर थी। बैंक की क्षेत्रीय विशेषता को सुरक्षित रखने के लिये बैंक के चार्टर ने यह तय कर दिया है कि बैंक की कुल पूँजी में गैर–क्षेत्रीय सदस्यों का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। U.S.A. और जापान बैंक की पूँजी में दो बड़े अनुदानकर्ता हैं। प्रत्येक का 200 मिलियन डॉलर का अनुदान है। भारत का अनुदान 93 मिलियन डॉलर का है। एशियाई अनुदानकर्ताओं मे भारत दूसरे स्थान पर है। आस्ट्रेलिया ने 85 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। प्रार्थिक पूँजी का केवल 50 प्रतिशत ही परिदत्त पूँजी है और शेष याचना–योग्य है। परिदत्त पूँजी का आधा अंश स्थानीय मुद्रा में और शेष स्वर्ण में अथवा परिवर्तनीय पत्र–मुद्रा में दिया जाता है। परिदत्त पूँजी का भुगतान 5 वर्षो के अन्दर करना होता है। इस समय बैंक के पास लगभग 500 मिलियन डॉलर की पूँजी तरल रूप में है।

ADB की अधिकृत पूँजी अफ्रीकी विकास बैंक और इन्टर अमेरीकन विकास बैंक की मौलिक (Original) पूँजी से अधिक है। बैंक अपनी पूँजी के अतिरिक्त ऋणों द्वारा भी अपने आर्थिक स्त्रोतों में अभिवृद्धि कर सकता है। बैंक के चार्टर के अनुसार 20 प्रतिशत मत बैंक के सदस्य देशों में समान रूप में वितरित किये गये हैं तथा शेष 80 प्रतिशत

अनुरूपी लेखक

सदस्यों द्वारा प्रार्थित पूँजी के आधार पर।

बैंक का प्रबन्ध– प्रत्येक सदस्य देश गवर्नर–प्रमण्डल के लिए अपना एक गवर्नर और एक आल्टर्नेट गवर्नर नियुक्त करता है। गवर्नर–प्रमण्डल की बैठक वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। गवर्नर–प्रमण्डल में 10 सदस्य होते हैं–7 एशियाई क्षेत्र से और 3 गैर–एशियाई क्षेत्र से। संचालक–मण्डल का प्रधान (Chairman) गवर्नर–प्रमण्डल का अध्यक्ष होता है जिसका कार्य–काल 5 वर्ष है।

बैंक की विनियोग एवं ऋण नीति–ADB का मुख्य उद्देश्य विनियोग के हेतु पूँजी प्रदान कर एशियाई देशों के आर्थिक विकास की गति को त्वरण प्रदान करना है। यह भी आशा की जाती है कि इस बैंक द्वारा एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। पाश्चात्य विकसित देश इस बैंक के माध्यम से सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेंगे। ADB को यह भी अधिकार है कि वह अपनी परिदत्त पूँजी, संचित कोष और ऋण पूँजी में से प्रत्यक्ष ऋण दे सकता है। बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो ग्राह्म सस्थाओं या उद्योगों की अंश पूँजी में धन का विनियोग कर सकता है। ऐसे उद्योगों की अंश पूँजी में विनियोग कम से कम इतना अवश्य होना चाहिये कि बैंक को उस संस्था के प्रबन्ध में नियन्त्रण अधिकार प्राप्त हो जाये। बैंक की सहायता का दूसरा रूप आर्थिक विकास के लिए अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों की गारन्टी देना है। आर्थिक सहायता देने के लिये बैंक निम्नांकित आधार–भूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखता है–

1– बैंक आर्थिक सहायता केवल निश्चित परियोजनाओं को ही देगा, विशेषतः जो क्षेत्रीय महत्व की है। यह विकास बैंकों या उसी प्रकार की संस्थाओं को छोटी परियोजनाओं के लिये पुनः वित्तीय सहायता देने के लिये या तो ऋण देगा या ऋणों की गारन्टी देगा। यह बैंक सरकारी एवं व्यक्तिगत संस्थाओं के लिये आर्थिक सहायता देगा। परन्तु एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि बैंक अपनी गतिविधियों को क्षेत्रीय परियोजनाओं पर ही केन्द्रित करे।

2– उचित परियोजनाओं का चयन करते समय बैंक सदैव क्षेत्र के सम्मिलित विकास को दृष्टि में रखकर कार्य करेगा। बैंक इस बात काक भी ध्यान रखेगा कि छोटे देशों की आवश्यकता भी पूर्ण हो जायें।

3– आर्थिक सहायता प्रदान करते समय यह भी विचारणीय होगा कि आर्थिक सहायता माँगने वाले देश को उचित शर्तो पर कहाँ–कहाँ से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, जो देश ADB के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें ADB आर्थिक सहायता देना पसन्द नहीं करेगा।

4– ऋणों की परियोजनाओं की ओर उचित ध्यान दिया जावेगा और इस बात का भी मूल्यांकन किया जावेगा कि ऋणी ऋण के उत्तरदायित्व को निबटाने की कैसी स्थिति में है।

5– बैंक अपने सभी कार्यो में ठोस अधिकोषण सिद्धान्तों का अवलोकन करेगा, दूसरे शब्दों में, बैंक व्यापारिक पद्धति पर कार्य करेगा।

क्योंकि, ADB व्यापारिक पद्धति पर कार्य करेगा अतः यह आशा की जाती है कि ऋण की सुविधायें ऊँचें व्याज की दर पर प्रदान करेगा और लाभ कमायेगा। प्रत्येक ऋण पर 6 प्रतिशत का ब्याज लिया जावेगा और इसके अतिरिक्त 1 प्रतिशत का कमिटमेंट–शुल्क (Commitment Fee) वसूल किया जायेगा। ऐसे ऋणों को हम कठोर ऋण (Hard Loan) कह सकते हैं। यह भी आशा की जाती है कि बैंक ऋणों का एक बड़ा भाग औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्रों के लिए प्रदान करेगा। इस प्रकार के सभी ऋण 9 वर्ष से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए होंगे। ADB की अप्रैल, 1969ई0 की बैठक में जो सिडनी नामक स्थान पर हुई। श्री देसाई ने बैंक के द्वारा दिये गये ऋणों की शर्तो में उदारता लाने का सुझाव दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बैंक को एक विशेष कोष की स्थापना करनी चाहिए। इसका निर्माण विशेष अनुदानों एवं बैंक लाभ में से किया जाना चाहिये। इस बैठक में यह बात तय कर दी गई कि 14.50 मिलियन डॉलर का ऋण सस्ती उपलब्ध कराया जाये। उदार ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिये बैंक ने तीन विशेष कोषों की स्थापना की है– (3) कृषि विशेष कोष, (2) बहु–धन्धी विशेष कोष तथा (3) प्राविधिक सहायता विशेष कोष। कृषि विशेष कोष के लिए जापान ने 20 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है जिसका उपभोग केवल कृषि विकास कार्यो के लिए ही किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता– ADB ने 31 दिसम्बर 1968 तक कुल 6 देशों को ऋण की सुविधायें प्रदान की हैं। ऋण की कुल राशि 416 लाख डॉलर है। ये ऋण चाय उद्योग, सड़क विकास एवं जल पूर्ति के लिए दिए गए हैं। इन ऋणों का विस्तारपूर्वक विवरण अग्रांकित पृष्ठ पर दिया गया है–

बैंक की सेवाओं का मूल्यांकन– बैंक ने पिछले वर्ष एक एशियाई कृषि सर्वेक्षण सम्पन्न किया। एक क्षेत्रीय उद्योग–सर्वेक्षण और एक यातायात सर्वेक्षण भी प्रारम्भ किया। कृषि सर्वेक्षण को श्री मोरारजी देसाई ने एक अद्भुत सफलता कहा है। पाकिस्तान इस बैंक से ऋण प्राप्त कर चुका है। यद्यपि भारत एशियाई देशों में बैंक का दूसरा बड़ा अनुदानकर्ता है, तथापि इस संस्था से कोई ऋण नहीं लिया है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई ऋण सहायता– एशियाई विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1974 में बैंक ने 547.68 मिलियन डॉलर के ऋण देने स्वीकार किये, जो पिछले वर्ष के 421.48 मिलियन डॉलर के ऋण से 30 प्रतिशत अधिक रहे हैं, इनमें से 40 ऋण 14 देशों के उन्तालीस परियोजनाओं के लिये स्वीकार किये गये। इस संस्था के प्रारम्भ से लेकर 1974 के अन्त तक एशियाई विकास बैंक ने 1923.71 मिलियन डॉलर के 211 ऋण 21 देशों को प्रदान किये। ये ऋण 189 परियोजनाओं के लिये दिये गये हैं, सम्पूर्ण ऋणों का 74 प्रतिशत भाग अर्थात् 1431.14 मिलियन डॉलर साधारण पूँजीगत साधनो से और शेष 26 प्रतिशत अर्थात् 492.57 मिलियन डॉलर के ऋण विशेष कोषों से प्रदान किये गये।

निप्रेक्ष एवं सापेक्षिक दृष्टि से विशेष कोषों से दिये गये ऋण में वृद्धि हुई है। विशेष कोषों से 1974 में बंगला देश ने सबसे अधिक मूल्य के ऋण प्राप्त किये हैं। 1974 में कुछ मुख्य देशों द्वारा लिये गये ऋणों की मात्रा इस प्रकार रही है– बंग्लादेश 52.1 मिलियन डॉलर, पाकिस्तान 34.0 मिलियन डॉलर वियतनाम गणराज्य 20.4 मिलियन डॉलर, बर्मा 16.3 मिलियन डॉलर।

1974 की ऋण सेवाओं की एक मुख्य विशेषता यह रही है कि विश्व–व्यापी मुद्रा प्रसाद के कारण बैंक को अनेक सहायक ऋण भी देने पड़े हैं। 1974 में कुल उधार दी गई रकम में पाकिस्तान (18.3 प्रतिशत) का भाग सबसे अधिक रहा, उसके पश्चात् कोरिया गणराज्य (16.3 प्रतिशत), इन्डोनेशिया (14.3 प्रतिशत) तथा मलेशिया (11.09 प्रतिशत) का रहा है। भारत ने इस संस्था से अभी तक कोई सहायता नहीं ली है।

इन ऋणों पर ब्याज की दर 678 प्रतिशत है। ऋणों की अवधि 7 वर्ष से लेकर 15 वर्षो तक है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ।क्ठ की स्थापना एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है परन्तु उसके स्त्रोंतों एवं विनियोग नीति को देखते हुये सफल आर्थिक सहयोग का लाना बैंक के लिए दुःसाध्य प्रतीत होता है। बैंक को अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होने के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने विनियोगों को केवल निर्माण–क्षेत्र में विशेष परियोजनाओं पर केन्द्रित करें।

एशिया के अधिकांश विकासशील देश छोटे हैं। इन देशों ने औद्योगीकरण की ओर जो भी कदम उठाये हैं उसके लिए पूँजीगत सामान–सीमेंट, लोहा व इस्पात, रसायन और उर्वरक–की आवश्यकता है। ये देश इन वस्तुओं की पूर्ति के लिये उन देशों पर निर्भर है जो बैंक के एशियाई क्षेत्र के बाहर है। इन देशों द्वारा पूँजीगत सामान का आयात निरन्तर बढ़ता जा रहा है जोकि अन्तर–क्षेत्रीय व्यापार के विकास में बाधक है। ADB को क्षेत्रीय–स्तर पर सीमेंट, लोहा व इस्पात, रसायन और तेल शोधक उद्योग में उचित विनियोग करना चाहिये। छोटे देशों में इन उद्योगों की स्थापना लाभप्रद प्रतीत नहीं होती। इन देशों में कृषि विकास के लिए उर्वरक उद्योग की भी आवश्यकता है, परन्तु अधिकांश देशों में इन वस्तुओं की अत्यन्त माँग के कारण प्रत्येक देश में इन उद्योगों की स्थापना अनार्थिक रहेगी।

बैंक द्वारा इन उद्योगों का संचालन क्षेत्रीय स्तर पर करना चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा और साथ ही साथ एशियाई देशों की विदेशों पर निर्भरता समाप्त हो जावेगी।

जापान ने कृषि विशेष कोष के लिए जो 20 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है, वह चाहता है कि इसका प्रयोग केवल दक्षिण–पूर्वी एशिया के लिए ही होना चाहिये। जापान ने यह भी इच्छा प्रकट की है कि इस अनुदान में से दिये गये ऋण का प्रयोग केवल जापान निर्मित सामान एवं जापानी सेवाओं के क्रय करने में ही होना चाहिये। जापान का यह विचार सराहनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जापान 'सुलभ ऋण' की सुविधा प्रदान करने का बहाना लेकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से द्विपीक्षीय आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है और उन पर अपना राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व जमाना चाहता है। हमें यह याद रखना चाहिये कि एशियाई विकास बैंक समस्त एशिया के लिए स्थापित हुआ है। यह कोई दक्षिण–पूर्वी बैंक या जापान बैंक नहीं है। ऐसी शर्तो पर तो एशियाई विकास बैंक को जापान का यह अनुदान स्वीकार ही नहीं करना चाहिये था। 'सुलभ ऋण' प्रदान करने के हेतु बैंक के विशेष कोषों के लिये सदस्य देशों से पर्याप्त अनुदान उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। 'सुलभ ऋणों' का विचार इस आशा से अपनाया गया था कि यू0एस0ए0 इन विशेष कोषों के लिये उदारतापूर्वक अनुदान देगा। प्रेजीडेन्ट जोन्सन ने भी 2000 मिलियन डॉलर तुल्य का अनुदान देने के लिये अमेरिका में पृष्ठभूमि तैयार की थी। परन्तु खेद है कि जोन्सन के पश्चात् यह विचार व्यवहारिक रूप न ले सका। यह शोकन्त नाटक है कि अमेरिका वियतनाम में प्रत्येक वर्ष 30,000 मिलियन डॉलर व्यय कर सकता है, परन्तु एशियाई विकास के लिये जहाँ उसने दो दशकों में दो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 200 मिलियन डॉलर की सहायता नहीं कर सकता।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि विकास के लिये वित्तीय सहायता आवश्यक है। परन्तु ऐसी सहायता केवल अल्पकालिक ही हो सकती है। अन्तिम उद्देश्य तो प्रत्येक देश के लिये स्व–सहायता का ही होना चाहिए। इसलिए विकास बैंक को ऐसे तरीके ढूँढ निकाल लेने चाहिये जिनसे उनके अन्तर्राष्ट्रीय–व्यापार में वृद्धि हो और वे विदेशी विनिमय की सहायता से आवश्यक सामान आयात कर सकें। यदि एशियाई विकास बैंक निर्यात–साख के लिये उचित वित्त–व्यवस्था कर दें तो यह कठिनाई

दूर हो सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Enwin Walter Kemmerer: The A.B.C. inflation
2. C.T. Smith: German Business cycles.
3. Andrew D. While: Fiat money inflation in France
4. S.K. Muranjan: Hyperinflation to Devaluation.
5. F.A. Hayek, Profits, Interest and Investments.
6. D. Bright Singh: Economics of Development.
7. G.L. Bach: Federal Reserve Policy Making.
8. F.A. Von Hayek: Monetary theory and the Trade cycle.
9. F.A. Von Hayek: Prices and Production.
10. Dudly Seers: "The role of Budget," The Banker, March.
11. H.P. Willis: Theory and Principles of central Banking.
12. G.K. Kulkarni: Deficit Financing and Economic Development.
13. Dr. K.S. Sharma: 'Structural Reorganisation of capital Market', Published in the Economic Times, Feb, 27, 1969.
14. Dr. K.S. Sharma: Investment Trust Companies and the Indian capital Market, AICC, Economic Review, Nov. 15, 1968

*****